डेली न्यूज़ (13 Aug, 2019)

drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/13-08-2019/print

बांध सुरक्षा विधेयक और उसका विरोध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा में पारित हुए **बांध सुरक्षा विधेयक** का उद्देश्य देश भर के सभी बांधों के लिये एक समान सुरक्षा प्रक्रिया का निर्धारण करना है। इस विधेयक के पारित होने से यह उम्मीद की जा रही है कि इसके माध्यम से देश में बांध संबंधी आपदाओं को रोकने के लिये बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन तथा रखरखाव और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

क्या कहता है यह विधेयक?

- यह विधेयक आपदाओं को रोकने के उद्देश्य से बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन, रखरखाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।
- यह देश भर के उन सभी बांधों पर लागू होता है जिनकी ऊँचाई 10 मीटर से अधिक है या जिनके पास एक विशेष डिज़ाइन तथा संरचनात्मक स्थिति है।
- यह विधेयक **बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति (National Committee on Dam Safety-NCDS)** के गठन की भी सिफारिश करता है। समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :
    - बांध सुरक्षा मानकों और बांधों में होने वाली घटनाओं की रोकथाम के संबंध में नीतियाँ और नियम तैयार करना।
    - बांधों की विफलता के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करना और बांध सुरक्षा के संदर्भ में अपनाई जा रही प्रक्रिया में परिवर्तन का सुझाव देना।
- इसके अलावा **NCDS** द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिये **राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (National Dam Safety Authority)** के गठन का भी प्रावधान किया गया है।
- राज्य स्तर पर बांधों के रखरखाव और उनकी सुरक्षा के लिये **राज्य बांध सुरक्षा संगठन** के निर्माण का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसके काम की समीक्षा के लिये **बांध सुरक्षा पर एक राज्य समिति** का भी गठन किया जाएगा।

क्यों जरूरी है विधेयक?

- केंद्र द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में देश में कुल 5,344 बड़े बांध मौजूद हैं जिसमें से 293 से अधिक बांध 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और 1,041 बांध 50-100 पुराने हैं।
- इन बांधों में से लगभग 92 प्रतिशत बांध अंतर-राज्यीय नदियों पर बने हैं और इनमें से कई पर दुर्घटनाओं के चलते

उनके रखरखाव की चिंता पैदा हुई है। उदाहरण के लिये कुछ ही दिनों पहले कोंकण क्षेत्र में रत्नागिरी (महाराष्ट्र) में एक बांध के टूटने के बाद 23 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई।

बांध सुरक्षा विधेयक का इतिहास?

इस विधेयक को पहली बार वर्ष 2010 में संसद में पेश किया गया था, उस समय इस विधेयक को समीक्षा के लिये स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2011 में सौंपी, जिसके बाद यह विधेयक दो बार- 15वीं लोकसभा और 16वीं लोकसभा में विपक्ष के विरोध के चलते पारित नहीं हो पाया।

क्यों हो रहा है इस विधेयक का विरोध?

- इस संबंध में कई राज्यों का तर्क है कि **'पानी' राज्य सूची** का विषय है और केंद्र सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय एक असंवैधानिक कदम है जिसे किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
- तमिलनाडु सहित कई अन्य राज्यों जैसे- कर्नाटक, केरल और ओडिशा इस विधेयक का पुरज़ोर विरोध कर रहे हैं। इन राज्यों का कहना है कि यह विधेयक राज्यों की संप्रभुता का अतिक्रमण करता है और संविधान में लिखित संघवाद के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है।
- विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, **NCDS** के अंतर्गत **केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission-CWC)** का भी एक प्रतिनिधि होगा, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि CWC सलाहकार और विनियामक दोनों की भूमिका में होगा और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, यह अनुचित है।
- तमिलनाडु की मुख्य चिंता विधेयक की **धारा 23(1)** से जुड़ी है, जिसके अनुसार यदि किसी राज्य के बांध दूसरे राज्य के क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो इस स्थिति में राज्य बांध सुरक्षा संगठन का स्थान राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा ले लिया जाएगा ताकि अंतर-राज्य संघर्ष को समाप्त किया जा सके।
- तमिलनाडु को मुख्यतः अपने चार बांधों- मुल्लापेरियार, परम्बिकुलम, थुनक्कडवु और पेरुवरिपल्लम की चिंता है, इन चारों का मालिकाना हक़ तो तमिलनाडु के पास है परंतु ये उसके पड़ोसी राज्य केरल में स्थित हैं।
- गौरतलब है कि वर्तमान में तमिलनाडु के इन बांधों का प्रशासन पहले से मौजूद दीर्घकालिक समझौतों के माध्यम से किया जा रहा है।

स्रोत: द हिंदू

सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने ऐसे छह शहरों - भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जोधपुर, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद की पहचान की है जिन्हें **सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर (City Knowledge and Innovation Clusters)** के रूप में विकसित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु :

- इस परियोजना का उद्देश्य देश में स्थित तमाम संस्थाओं और शहर या राज्य में स्थित विभिन्न उद्योगों के अंतर्गत अनुसंधान और ज्ञान के लिये संपर्क स्थापित करना है।
- इसका नेतृत्व **मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार (Principal Scientific Advisor-PSA)** द्वारा किया जाएगा।

- इस कार्य के लिये सभी शहरों से संबंधित रूपरेखा तैयार कर ली गई है और कुछ राज्यों में इसकी बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं।
- परियोजना के लिये अब तक भुवनेश्वर में लगभग 20 राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं को और पुणे में 30 अलग-अलग व्यावसायिक उद्यमों को जोड़ा गया है।

महत्त्व :

- भारत के शहरों और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान और राजकोषीय संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और यदि इन सभी स्वतंत्र संस्थाओं को एक मंच प्रदान किया जाए तो हम संसाधनों का कुशल प्रयोग करने में सक्षम हो जाएंगे और साथ ही सभी क्षेत्र एक साझेदार के रूप में कार्य कर पाएंगे।
- उदाहरण के लिये यदि किसी एक विशेष उद्योग में कोई समस्या है जिसे वैज्ञानिकों या किसी प्रयोगशाला में रखे उपकरण के माध्यम से हल किया जा सकता है तो यह परियोजना उस समस्या के निवारण हेतु एक सरल मंच प्रदान करेगी।
- इसके अतिरिक्त यह परियोजना मौजूदा प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्राप्त करने में उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों की सहायता करेगी।
- इस कार्य के लिये सभी शहरों में एक नोडल कार्यालय स्थापित किया जाएगा और इस कार्यालय का मुखिया एक सीईओ या मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, जिसका चुनाव सभी हितधारकों द्वारा मिलकर किया जाएगा।
- इस संदर्भ में सरकार **I-Stemm** के नाम से एक वेब पोर्टल की शुरुआत करने की योजना बना रही है। इस पोर्टल में उद्योगों को सभी सार्वजनिक वित्तपोषित संस्थानों की राष्ट्रव्यापी सूची प्राप्त हो सकेगी। अधिकारियों के मुताबिक, अब तक कुल 350 संस्थानों ने पंजीकरण किया है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

आयरन आयन बैटरी

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्त्ताओं ने पहली बार एनोड के रूप में हल्के स्टील का प्रयोग करके रिचार्जेबल आयरन आयन बैटरी का निर्माण किया है।

प्रमुख बिंदु:

- वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए सस्ती बैटरी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- भारत और विश्व में लिथियम भंडार की कमी के कारण अन्य सामग्रियों के प्रयोग का प्रयास किया जा रहा है जो लिथियम की तरह कार्य कर सके।
- जहाँ लिथियम आयन बैटरी में लिथियम आयन आवेश वाहक होते हैं, वहीं आयरन आयन बैटरी में लौह आयन (Ferrous Ion- Fe2+) आवेश वाहक का कार्य करते हैं।
- आयरन आयन बैटरी का सामान्य परिस्थितियों में ऊर्जा घनत्व 350 वॉट घंटे/किलोग्राम रहा, वहीं लिथियम आयन बैटरी का ऊर्जा घनत्व 220 वॉट घंटे/किलोग्राम होता है।
- आयरन धातु में लिथियम जैसे भौतिक-रासायनिक गुण होते है, साथ ही आयरन आयन की रेडॉक्स क्षमता लिथियम

आयन से अधिक होती है और आयरन आयन की त्रिज्या लिथियम आयन के लगभग समान होती है। लोहे के इन दो अनुकूल गुणों के माध्यम से रिचार्जेबल बैटरी बनाई जा सकती है।

रेडॉक्स क्षमता किसी रसायन की इलेक्ट्रॉनों की पकड़ने या छोड़ने की क्षमता है, इसे वोल्ट या मिलिवोल्ट्स में मापा जाता है।

- शुद्ध लोहे में एनोड हेतु लौह आयनों का निष्कासन आसान नही है, इसलिये इसके लिये स्टील में मौजूद कार्बन की कम मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है।
- आयरन में अधिक स्थिरता के गुण के कारण चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान शॉर्ट-सर्किट की बहुत कम संभावना होती है।
- आयरन आयन बैटरी में परतों के बीच बड़े अंतर के साथ ही स्तरित संरचना के कारण वैनेडियम पेंटोक्साइड (Vanadium Pentoxide) का प्रयोग कैथोड के रूप में किया जा रहा है।
- वैनेडियम पेंटोक्साइड में स्तरित संरचना के कारण आयरन आयन आसानी से अंदर जाते हैं और कैथोड के साथ अंतःक्रिया कर पाते हैं।
- ईथर आधारित इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाएगा जिसमें विघटित आयरन पेरोक्लोरेट शामिल होंगे। आयरन पेरोक्लोरेट, एनोड और कैथोड के बीच आयन माध्यम का कार्य करेगा।

आयरन आयन बैटरी की ऊर्जा संग्रहण क्षमता अधिक है लेकिन यह लागत प्रभावी है। आयरन आयन बैटरी के प्रदर्शन को और बेहतर करने पर ध्यान दिया जा रहा है, चूँकि इलेक्ट्रोलाइट को बदला नहीं जा सकता है, इसलिये शोधकर्त्ता कैथोड हेतु अलग-अलग सामग्री की खोज कर रहे हैं।

स्रोत: द हिंदू

Rapid Fire करेंट अफेयर्स 13 अगस्त

- विश्वभर में 12 अगस्त का दिन **अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस** के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य युवाओं के मुद्दों पर समाज और सरकारों का ध्यान आकर्षित करना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम **ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन** (Transforming Education) रखी गई है। यह थीम युवाओं द्वारा स्वयं के प्रयासों सहित सभी युवाओं के लिये शिक्षा को अधिक प्रासंगिक, न्यायसंगत और समावेशी बनाने के प्रयासों पर प्रकाश डालती है। विदित हो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसम्बर 1999 को युवा विश्व सम्मलेन के दौरान की गई सिफारिशों को मानते हुए पहली बार वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया था। वर्ष 2015 में सुरक्षा परिषद द्वारा पारित संकल्प को अपनाने के बाद से इस मान्यता को बल मिला कि परिवर्तन के एजेंट के रूप में युवा संघर्षों को रोकने और शांति बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। भारत में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को **राष्ट्रीय युवा दिवस** मनाया जाता है। विश्व में भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, यहाँ 35 वर्ष की आयु तक के 65 करोड़ युवा हैं।
- 8 और 9 अगस्त को मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग में भारत सरकार तथा मेघालय सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने **ई-शासन पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन** का आयोजन किया। सम्मेलन का विषय था– **डिजिटल इंडिया: सफलता से उत्कृष्टता** । सम्मेलन में व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात **ई-शासन पर शिलॉन्ग घोषणापत्र** को स्वीकार किया गया। सम्मेलन के दौरान 6 उपविषयों पर चर्चा हुई, जिनमें भारत उद्यम वास्तुशास्त्र, डिजिटल अवसंरचना, समावेश और क्षमता निर्माण, सचिवालय सुधार, उपयोगकर्त्ताओं के लिये उभरती तकनीक, राष्ट्रीय ई-शासन सेवा का आकलन करना शामिल था। इसके अलावा चार अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई, जिनमें एक राष्ट्र एक प्लेटफार्म, नवोन्मेषियों तथा उद्योग जगत के साथ जुड़ना, राज्य सरकारों की आईटी पहल शामिल थे। इस दौरान **ई-शासन के क्षेत्र में भारत के योगदान** विषय पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई।

- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गोवंश की रक्षा के लिये गौ कल्याण योजना की शुरुआत की है। इसका नाम **मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना** रखा गया है। विदित हो कि उत्तर प्रदेश में आवारा तथा छुट्टा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे किसान परेशान हैं क्योंकि ये उनकी फसल को नष्ट कर देते हैं। अब राज्य सरकार ने जो योजना पेश की है उससे आवारा पशुओं पर तो रोक लगेगी ही, साथ ही गाँव के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा। सरकार ने इस नई योजना के पहले चरण के लिये 109 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। इस योजना के पहले चरण में सरकार, सरकारी गोशालाओं की एक लाख गायों को उन किसानों या ऐसे लोगों को सौंपेगी, जो इनकी देखभाल करने के लिये तैयार हैं। जो व्यक्ति इन गौवंश की देखभाल करेगा, उसे एक गाय के लिये प्रतिदिन **30 रुपए** दिये जाएंगे यानी प्रदेश सरकार हर महीने ऐसे व्यक्ति के बैंक खाते में 900 रुपए जमा करेगी। अभी तीन महीने का पैसा एक साथ दिया जाएगा तथा उसके बाद हर महीने 900 रुपए खाते में डाले जाएंगे। वर्ष 2012 की पशु गणना के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 205.66 लाख पशु हैं, जिनमें से 10-12 लाख आवारा पशु हैं। राज्य में 523 पंजीकृत गौशालाएँ हैं तथा कई अन्य को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। वर्ष 2019-20 के बजट में राज्य सरकार ने पशु कल्याण के लिये कुल 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें से गाँवों में पशु आश्रय स्थलों को तैयार करने और रखरखाव के लिये 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि शहरों में इसी काम के लिये 200 करोड़ रुपए दिये जाने हैं।
- 10 अगस्त को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने झारखंड सरकार की **मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना** लॉन्च की। झारखंड सरकार ने प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के सभी लघु एवं सीमांत किसान, जिनके पास अधिकतम 5 एकड़ तक कृषि योग्य भूमि है, उन्हें 5000 रुपए प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से सहायता अनुदान दिया जाएगा, जिससे उनकी ऋण पर निर्भरता कम होगी। यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी। इस योजना से सभी योग्य किसानों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 5000 तथा अधिकतम 25 हज़ार रुपए मिलेंगे। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस वर्ष राज्य के लगभग 35 लाख किसानों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके प्रथम चरण में लगभग 10 लाख किसानों के बैंक खातों में लगभग 380 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में सरकार ने 23 अनाजों के **न्यूनतम समर्थन मूल्य** में लगातार वृद्धि की है तथा वनवासियों के लिये वन उत्पादों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है।